जिंदगी में कभी घमण्ड मत करना वक्त, विरासत और वजूद कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा।

– अज्ञात

पहली बार एक ऐसा सर्वे

यह टाइम यूज सर्वे पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच हुआ और इससे कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं जो आगे नीति निर्माण में खासी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

नवीन सिंह।।

नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) ने पहली बार एक ऐसा सर्वे करवाया है जिससे पता चलता है कि देशवासी रोज के 24 घंटों में से कितना समय किन कार्यों में बिताते हैं। यह टाइम यूज सर्वे पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच हुआ और इससे कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं जो आगे नीति निर्माण में खासी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। यहीं यह भी समझ लिया जाए कि यह किसी एनजीओ या संस्था द्वारा सीमित नमूनों के आधार पर भारी–भरकम नतीजे देने वाला सर्वे नहीं था। इसमें 5947 गांवों और 3998 शहरी क्षेत्रों के 1,38,799 परिवार कवर किए गए। अंडमान निकोबार के ग्रामीण हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरा देश इसकी जद में आ गया। इन तमाम परिवारों के छह साल से ऊपर के सभी सदस्यों से बातचीत की गई।

सर्वे से पता चला कि एक हिंदुस्तानी हर रोज औसतन 552 मिनट यानी 9 घंटे 12 मिनट सोता है। ग्रामीण क्षेत्रों का पुरुष इस औसत से 2 मिनट ज्यादा यानी 554 मिनट सोता है। सोने में महिलाएं पुरुषों से थोड़ा आगे हैं और वे रोजाना औसतन 557 मिनट (पुरुषों से 5 मिनट ज्यादा) इस काम के लिए देती हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों को नींद कम नसीब होती है– महिलाओं को 552 मिनट तो पुरुषों को महज 534 मिनट। सोने की कसर पुरुष खाने में निकाल देते हैं और इस मामले में महिलाओं से काफी आगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रोज 94 मिनट खाने पर देती हैं तो पुरुष 103 मिनट। शहरी क्षेत्रों में यह औसत क्रमशः 97 और 101 मिनट का है। रही बात परिवार के सदस्यों की देखभाल करने और उनका ख्याल रखने जैसे अवैतनिक कार्यों की, तो महिलाओं का काफी सारा वक्त इसमें जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं रोज 301 मिनट यानी करीब 5 घंटे ऐसे कार्यों में लगाती हैं जबकि पुरुष मात्र 98 मिनट लगाते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी थोड़े अंतर के साथ यही अनुपात है।

परिवार में परंपरा, टीवी जैसा मास मीडिया और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों में लगने वाला परिवार का औसत साझा समय है 165 मिनट। सोशलाइजिंग, बातचीत, सामूहिक सहभागिता वाले अन्य कार्यों और धार्मिक कार्यों में भी शहरी–ग्रामीण और महिला–पुरुष में थोड़ा–थोड़ा अंतर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यों में भी औसतन रोज 165 मिनट ही लगता है। ये आंकड़े कई लिहाज से इस दौर के हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आईना हैं। अर्थोपार्जन से जुड़ी गतिविधियों का हिसाब तो जीडीपी में आ जाता है, लेकिन देशवासियों का जो समय गैरआर्थिक गतिविधियों में लगता है, उसका अंदाजा लेने की कोई कोशिश सरकारी स्तर पर नहीं की गई थी। अगर ऐसा ही सर्वे लॉकडाउन के दौरान होता तो इस सामान्य और अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन की सटीक पड़ताल हो पाती कि पुरुषों के घर में रहने से कैसे महिलाओं की दोपहर की नींद गायब हो गई है। बहरहाल, नियमित अंतराल पर ये आंकड़े सामने आते रहें तो इनसे समाज और परिवार के अंदर के समीकरणों में हो रहे बदलावों की झलक मिल सकती है।

असफलता

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

सफल होने के लिए असफल होना बहुत ही जरुरी है। कुछ लोग असफल होने के डर से नयी चीजे करने से कतराते है। ऐसा करने से आप कभी असफल नहीं होंगे न ही आपसे कभी कोई गलती होगी पर ऐसा करने से आप कुछ नया नहीं सिख पाओगे।

ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जिसमे आपने कुछ सीखा नहीं या फिर कुछ नया किया नहीं। इसिलए अपने असफल कामो से शर्मिंदा होने से अच्छा उनपर गर्व महसूस कीजिये। उनके वजह से आप एक दिन सफल होंगे।

जब कभी भी आप जिम में काम कर रहे होते हो, तो 10 के जगह 11 रेप्स (त्मचे) मारने की कोशिश कीजिये। ऑफिस में 15 फोन करने की बजाये 16 कीजिये।

संपादकीय

नंबर वन पसंद

केंद्र और राज्य सरकारों की इसी मिलीभगत के चलते इस साल संयुक्त राष्ट्र ने नशे पर अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, वह भारत और नाइजीरिया पर ही केंद्रित है। यह बताती है कि नशेड़ियों की संख्या 2009 के मुकाबले अभी 30 फीसद ज्यादा है। गैरकानूनी कोकीन की बिक्री साल 2017 में 1976 टन थी, इसमें इस बार 1275 टन और जुड़ गए हैं। साल 2010 में गैरकानूनी ट्रैमाडोल दुनिया भर में 10 किलो से भी कम पकड़ी जाती थी, मगर अभी 150 टन तक पकड़ी जा रही है। अमेरिका और कनाडा में खाकर 50 हजार से ज्यादा लोग सिंथेटिक अफीम खाकर मर चुके हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस सबके बावजूद दुनिया भर में नशेड़ियों की नंबर वन पसंद भांग ही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर के 18 करोड़ लोग भांग खाते हैं। मगर यह भी असली संख्या नहीं है क्योंकि भांग खाने वाले ये लोग बीमारी की वजह से सामने आते हैं। नशे से मिलती इस चुनौती में सरकारें और नशे के तस्कर, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। लॉकडाउन में जब सारे कारोबार बंद थे, तब भी भांग–गांजे की तस्करी चालू थी। इस दौरान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चार टन से ज्यादा गांजा जब्त किया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे बीच का हर छठा–सातवां इंसान नशे का शौकीन है। इस शौक को तस्कर तो पूरा कर ही रहे हैं, सरकारें भी इस काम में ज्यादा पीछे नहीं हैं।

नशे के कारोबार में लगी सरकारें भांग, गांजे और अफीम से दवाई बनाने का बहाना बनाती हैं, हालांकि कानून का फायदा उठाकर खासकर भांग को तो वे आम लोगों को नशे के लिए ही बेच रही हैं।

किस नशे में कौन

राहुल पाण्डेय ।।

तकरीबन एक अरब रुपए के भांग के सरकारी ठेके इस साल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर छूटे हैं। अकेले बागपत जिले में तीन ठेके 45 लाख रुपये से अधिक के छूटे जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश के लोगों के लिए जितनी भांग की व्यवस्था की थी, इस बार का टारगेट उससे डेढ़–दो प्रतिशत बढ़ा दिया है। मतलब, उत्तर प्रदेश में इस साल लोग और ज्यादा भांग खाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बना रखी हैं। बगल में हिमाचल प्रदेश, जहां का गांजा विश्व प्रसिद्ध है और जिसे केंद्र में रखकर एक फिल्म 'चरस' बन चुकी है, जिसमें मशहूर अभिनेता स्व. इरफान तस्कर की भूमिका में थे, वहां भी अब इसकी खेती बड़े पैमाने पर कराने की सरकारी तैयारी है।

नशे के कारोबार में लगी सरकारें भांग, गांजे और अफीम से दवाई बनाने का बहाना बनाती हैं, हालांकि कानून का फायदा उठाकर खासकर भांग को तो वे आम लोगों को नशे के लिए ही बेच रही हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने कुल अफीम उत्पादन का 17 फीसद मॉर्फीन बनाने में लगाता है जबकि 80 फीसद का

इस्तेमाल खांसी की दवा बनाने में करता है। राज्य सरकारों और तस्करों की मिलीभगत से चलने वाला नशा बिक्री का यह खेल खुलेआम जारी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि सरकारी सर्वे के मुताबिक 10 से 17 वर्ष आयुवर्ग के 1.48 करोड़ बच्चे और किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन और भांग सहित कई तरह की नशीली चीजों से बेतरह घिरे हुए हैं। इनमें से 30 लाख बच्चे शराब पीते हैं तो 20 लाख भांग खाते हैं। नशे से घिरी सबसे बड़ी तादाद पंचर जोड़ने वाला रबर सॉल्यूशन सूंघने और खुमार के लिए कफ सीरप पीने वाले बच्चों की है– पूरे 50 लाख।

18 से 75 वर्ष के बीच के लोगों में भांग खाने वाले लगभग 2.90 करोड़ हैं। अफीम के लती 1. 90 करोड़ हैं जबकि 10 लाख लोग कोकीन और 20 लाख लोग उत्तेजना पैदा करने वाले एम्फैटेमिन जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। इस सर्वे में नशे से बीमार लोगों से जानकारी जुटाने को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए माना जा सकता है कि असल संख्या इनके बताए से कहीं ज्यादा है। नशा हमारा इस तरह से नाश न कर पाए, इसके लिए साल 1985 में एनडीपीएस एक्ट पास हुआ। इसके तहत नशीले पदार्थों को उगाने से लेकर रखने, लाने–ले जाने और खाने तक पर सजा का प्रावधान किया गया। मगर यह कानून अपने आप में इतना विरोधाभासी है कि यह हर तरफ चलता है और कहीं भी नहीं चलता। एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक भांग की पत्तियां और बीज गैरकानूनी नहीं हैं, लेकिन कली, फूल या रस, जिससे क्रमशरू गांजा और चरस बनता है, वह गैरकानूनी है। हालांकि बीज के सिवाय इस पौधे में नशा हर तरफ है और कानूनी बनाई गई पत्तियों में तो इतना नशा है कि यूपी से जो भांग चीन एक्सपोर्ट होती है, वह सिर्फ अपने ज्यादा नशे की वजह से रिजेक्ट होने लगी है।

ध्यान रहे, राज्यों को एनडीपीएस एक्ट का अपना–अपना संस्करण बनाने की छूट मिली है। इसी के तहत कई राज्य अब भांग की खेती करा रहे हैं, जिसका कुछ जगहों पर स्थानीय निवासी विरोध भी कर रहे हैं। केंद्रीय एनडीपीएस एक्ट के तहत भांग बेचने पर भी रोक है, लेकिन कई राज्यों ने अपने एनडीपीएस एक्ट में इस पर छूट ली हुई है।

सूडोकु नवताल- 5496

कठिन

					1	4		
	9					5	8	
			7	9				
			2				6	7
4								3
5	8				9			
				8	5			
	7	6					1	
		9	3					

सूडोकु नवताल -5495 का हल

7	8	9	2	3	1	6	5	4
3	2	4	6	5	9	7	8	1
6	5	1	8	4	7	2	9	3
5	1	7	3	9	8	4	6	2
4	6	8	5	1	2	9	3	7
9	3	2	4	7	6	8	1	5
1	4	6	9	2	3	5	7	8
2	9	3	7	8	5	1	4	6
8	7	5	1	6	4	3	2	9

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

Jagrutidaan.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

कविनगर में सरकारी भांग की दुकान

मोहन। नोएडा के सेक्टर–15 में और गाजियाबाद के कविनगर में सरकारी भांग की दुकान है। गाजियाबाद वाली दुकान में पूछने पर बताया गया कि सरकारी दाम पर बोरी भर सूखी भांग कोई भी खरीद सकता है। होली में तो बोरे के बोरे बिकते हैं। सेंट्रल एनडीपीएस एक्ट में बोरे भर भांग पर दस साल की जेल और एक लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का प्रावधान है, मगर स्टेट एनडीपीएस एक्ट में इस पर छूट है। उत्तर प्रदेश सरकार तो भांग के लिए बाकायदा हर साल एमएसपी जारी करती है। इस साल यहां पर एमएसपी के तहत क्रमशरू 24 रुपये, 20 रुपये और 19 रुपये प्रति किलो की दर से भांग खरीद हो रही है। दो साल पहले, यानी 2018 में उत्तर प्रदेश में सरकार ने भांग की खेती शुरू कराई। उसी साल अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष विरोज सुमायी ने कहा था कि जिस तरह से कुछ देश भांग को कानूनी मान्यता दे चुके हैं।